मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत ₹ 1330.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जैव विविधता प्रबंधन समिति हेतु ₹ 1300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना अंतर्गत डिक्रीधन भुगतान हेतु ₹ 338.61 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 3,38,61,542 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड की स्थापना के अंतर्गत ₹ 80.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।